भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 47
जिसका उत्तर शुक्रवार, 2 फरवरी, 2024 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय की क्षेत्रीय न्यायपीठ

47. श्री दुष्यंत सिंह :

श्री भागीरथ चौधरी :

श्री दीपक अधिकारी (देव) :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन राज्यों में उच्चतम न्यायालय की क्षेत्रीय न्यायपीठें कार्यरत हैं ;

(ख) क्या सरकार न्याय तक बेहतर पहुंच के लिए उच्चतम न्यायालय की नई क्षेत्रीय/सर्किट न्यायपीठों की स्थापना करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार की राजस्थान के अजमेर में उच्चतम न्यायालय की नई क्षेत्रीय न्यायपीठ स्थापित करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार मिशन के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : भारत के संविधान के अनुच्छेद 130 में यह उपबंध है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर नियत करे।

ग्यारहवें विधि आयोग ने 1988 में प्रस्तुत "द सुप्रीम कोर्ट-ए फ्रेश लुक" शीर्षक वाली अपनी 125वीं रिपोर्ट में, दसवें विधि आयोग द्वारा अपनी 95वीं रिपोर्ट में उच्चतम न्यायालय को दो भागों में विभाजित करने के लिए की गई सिफारिशों को दोहराया, अर्थात् (i) दिल्ली में संवैधानिक न्यायालय और (ii) उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य भारत में स्थित अपील न्यायालय या संघीय न्यायालय । अठारहवें विधि आयोग ने 2009 में प्रस्तुत अपनी 229वीं रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया था कि दिल्ली में एक संवैधानिक न्यायपीठ की स्थापना की जाए और उत्तरी क्षेत्र में दिल्ली में, दक्षिणी क्षेत्र में चेन्नई/हैदराबाद में,पूर्वी क्षेत्र में कोलकाता में और पश्चिमी क्षेत्र में मुंबई में चार अपील न्यायपीठों की स्थापना की जाए।

यह मामला भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के पास भेजा गया, जिन्होंने सूचित किया कि इस मामले पर विचार करने के पश्चात, पूर्ण न्यायालय ने 18 फरवरी, 2010 को हुई अपनी बैठक में यह पाया कि दिल्ली के बाहर उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने का औचित्य नहीं है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने इससे पहले अगस्त, 2007 में इसी तरह के विचार व्यक्त किये थे ।

राष्ट्रीय अपील न्यायालय की स्थापना पर रिट याचिका डब्लू पी (सी) संख्या 36/2016 में, उच्चतम न्यायालय ने अपने तारीख 13.07.2016 के निर्णय के द्वारा आधिकारिक घोषणा के लिए संवैधानिक न्यायपीठ के उपरोक्त उल्लिखित मुद्दे को संदर्भित करना उचित समझा । मामला उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है।

वर्तमान में, राज्यों में उच्चतम न्यायालय की कोई प्रादेशिक पीठ नहीं हैं।

(ग) : राजस्थान राज्य के अजमेर में उच्चतम न्यायालय की एक नई प्रादेशिक पीठ स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) : राष्ट्रीय न्याय वितरण और विधिक सुधार मिशन का ऐसा कोई विशिष्ट प्रभाव मूल्यांकन नहीं किया गया है। तथापि, मिशन न्यायालयों को बेहतर अवसंरचना प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रहा है, जिसमें कम्प्यूटरीकरण, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में विभिन्न नीति और विधायी उपाय अपनाना, मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुनर्रचना और मानव संसाधन विकास पर जोर देना सम्मिलित है। राष्ट्रीय मिशन की प्रमुख पहलों में से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं: -

i. न्यायिक अवसंरचना के केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टर, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को निधियाँ जारी की जा रहा हैं, जिससे वकीलों और वादियों के जीवन में आसानी होगी, जिसके द्वारा न्याय परिदान करने में सहायता करना है। आज की तारीख के अनुसार, 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) की शुरुआत के बाद से 10551.68 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस स्कीम के अधीन न्यायालय हालों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर 31.12.2023 को 21,524 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर 31.12.2023 को 18,951 हो गई है।

ii जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या में निम्नानुसार वृद्धि की गई है :

निम्नलिखित तारीख तक	**स्वीकृत संख्या**	**कार्यरत पद संख्या**
31.12.2013	19,518	15,115
23.01.2023	25,348	20018

तथापि, अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों का भरा जाना संबद्ध राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर आता है।

iii. लंबित मामलों को कम करने तथा न्यायालयों को उससे मुक्त करने के विचार से सरकार ने हाल ही में विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और

सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में संशोधन किया गया है ।

iv. वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों का पूरे मनोयोग से संवर्धन किया गया है। तद्नुसार, तारीख 20 अगस्त, 2018 को वाणिज्यिक विवादों के बाध्यकारी पूर्व मध्यकता और निपटारे (पीआईएमएस) के लिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 का संशोधन किया गया है। विहित की गई समय-सीमा द्वारा विवादों के शीघ्र समाधान को तेज करने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन किया गया है । हाल ही में अधिनियमित किए गए मध्यकता अधिनियम, 2023 में कथन किया गया है कि अधिनियम की पहली अनुसूची में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध ऐसे मामलों को छोड़कर जो मध्यस्थता के लिए उपयुक्त नहीं हैं और जिस पर मध्यकता नहीं की जा सकती मध्यकता अधिनियम, 2023 के उपबंधों के अनुसार नागरिक और वाणिज्यिक मामलों में मध्यकता की जा सकती है। पहली अनुसूची में छूट वाली सूची से यह देखा जा सकता है कि केवल बड़े अपराधों को बाहर रखा गया है, इस प्रकार अधिकांश छोटे अपराधों को मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के दायरे में छोड़ दिया गया है।

V. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधीन, मामले की प्रबंधन सुनवाई का उपबंध है जो किसी मामले के कुशल, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण न्यायिक प्रबंधन का उपबंध करता है जिससे विवाद का समय पर और गुणात्मक समाधान प्राप्त किया जा सके। यह तथ्य और विधि के विवादित मुद्दों की शीघ्र पहचान करने, मामले की अवधि के लिए प्रक्रियात्मक कैलेंडर की स्थापना और विवाद के समाधान की संभावनाओं की खोज में सहायता करता है। वाणिज्यिक न्यायालय के लिए शुरू की गई एक और नई सुविधा कलर बैंडिंग की प्रणाली है जो किसी भी वाणिज्यिक मामले में दिए जाने वाले स्थगन की संख्या को तीन तक सीमित करती है और न्यायाधीशों को उनके लंबित चरण के अनुसार मामलों की सूची के बारे में सचेत करती है।

vi. ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन , जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है। ई-न्यायालय परियोजना के चरण- I और चरण-II के अधीन उचित वैन संयोजकता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा, न्यायालय परिसरों और वर्चुअल न्यायालय आदि में ई-सेवा केंद्रों की स्थापना के साथ जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण को आगे बढ़ाना। हाल ही में, मंत्रिमंडल ने 13.09.2023 को 7,210 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ ई-न्यायालय के चरण-III का अनुमोदन किया है । ई- न्यायालय चरण III में न्यायालय अभिलेख, विरासत रिकॉर्ड और लंबित मामलों दोनों के डिजिटलीकरण की परिकल्पना की गई है; आसान पुनर्प्राप्ति के लिए अत्याधुनिक और नवीनतम क्लाउड आधारित डेटा भंडार; पूरे भारत में सभी न्यायालय परिसरों में ई-सेवा केंद्र; कागज रहित न्यायालय; जिला अस्पतालों को भी कवर करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा; न्यायालय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और वर्चुअल न्यायालय के दायरे का विस्तार। यह परियोजना एक "स्मार्ट" पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके एक सहज उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने में मदद करेगी। रजिस्ट्रियों में कम डेटा प्रविष्टि और न्यूनतम फ़ाइल जांच होगी जिससे बेहतर विनिश्चय करने और नीति नियोजन में सुविधा होगी। इस प्रकार ई- न्यायालय चरण-III देश के

सभी नागरिकों के लिए न्यायालय के अनुभव को सुविधाजनक, सस्ता और परेशानी मुक्त बनाकर न्याय में आसानी सुनिश्चित करने में गेम चेंजर साबित हो सकता है।

vii. लोक अदालत सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यह एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय या पूर्व-मुकदमेबाजी के स्तर पर लंबित विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा किए गए एक पंचाट को एक सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है और यह सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है और किसी भी अदालत के समक्ष इसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती है। लोक अदालत कोई स्थायी स्थापना नहीं है।

तीन प्रकार की लोक अदालतें: राष्ट्रीय लोक अदालतें, राज्य लोक अदालतें और स्थायी लोक अदालतें आम तौर पर नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में मोबाइल लोक अदालतें भी आयोजित की जाती हैं, जो मध्यस्थता तंत्र के माध्यम से विवादों को सुलझाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं। जून, 2020 से, ऑनलाइन लोक अदालत/ई-लोक अदालतों का वस्तुतः आयोजन किया गया है जो पक्षकार की बातचीत और सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है, जिससे लोग अपने घरों से प्रभावी ढंग से भाग ले सकते हैं।

****